

आवश्यक सूचना

बंगाली मूल के छात्र एवं छात्राओं के शैक्षिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा संचालित "गुरु चांद ठाकुर स्मृति सहायता कोष" अन्तर्गत विगत वर्ष 2025-26 में आवेदन करने रह गये छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं -

उपरोक्त आर्थिक सहायता हेतु पात्रता निम्नानुसार है :-

- 01- सत्र 2025-26 में अध्ययनरत् सामान्य शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र एवं छात्राएं इस आर्थिक सहायता के पात्र होंगे।
- 02- शिक्षण संस्थान से निर्धारित आवेदन पत्र पर स्वीकृती एवं मान्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र आदि संलग्न करना अनिवार्य है।
- 03- पिता/अभिभावक की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय रूपया 250000-00 (रूपया दो लाख पचास हजार मात्र) तक का तहसील स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न होना अनिवार्य है।
- 04- छात्रवृत्ति प्राप्त किये जाने हेतु जाति प्रमाण पत्र।
- 05- आवेदन हेतु आवेदन पत्र कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं तथा समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट में 'सूचनाएं' टेब से व <https://socialwelfare.uk.gov.in/hi/news-2/> से भी प्राप्त किये जा सकते हैं।

अतः उक्त कोष से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के पात्र छात्र एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है, कि वे अपने शिक्षण संस्थान से निर्धारित आवेदन पत्र को स्वीकृत करा कर उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्रों की प्रतियों के साथ दिनांक 05 सितम्बर 2026 तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय विकास भवन, कमरा नम्बर 124 में निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अपूर्ण एवं उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(अमर उजाला)

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी ऊधमसिंह नगर

पत्रांक 1237/स0क0/विज्ञप्ति/बं0मू0समु0/2026-27

दिनांक 20 अगस्त 2026

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01- जिलाधिकारी महोदय, ऊधमसिंह नगर।
- 02- मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- 03- उप जिलाधिकारी सितारगंज/गदरपुर को उनके नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 04- खण्ड विकास अधिकारी, सितारगंज/गदरपुर को उनके नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 05- क्षेत्रीय संपादक, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान को इस आशय के साथ कि उक्त सूचना अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में शासकीय दरों पर प्रकाशित कराते हुये बिल की दो प्रतियां इस कार्यालय को प्रकाशित सूचना की प्रति सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।